(120)

पत्रांक 3/एम0-30/2005-का0- 1533

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक- 3-6-06

विषय:- राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों के अधीनस्थ दैनिक वेतनभोगियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या 639 दिनांक 16.3.2006 की कंडिका-9 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त संकल्प में, दैनिक वेतनभोगियों की नियमित नियुक्ति/समायोजन हेतु, विहित प्रक्रियाओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सम्पन्न कराने हेतु निम्नांकित रूप में समय-सीमा के निर्धारण का निर्णय लिया गया है-

| क्रमांक | समय-सीमा | प्रक्रिया |
|---|---|---|
| 1. | 30 जून, 2006 तक | (1) रिक्तियों की गणना एवं वित्त विभाग से उसकी संपुष्टि कराया जाना ।<br>(2) 5 वर्षों तक लगातार (प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिनों तक) कार्यरत रहने के आधार पर और उम्र के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों की वरीयता का निर्धारण, वरीयता सूची का प्रकाशन और आपत्ति आमंत्रित किया जाना । |
| 2 | 31 जुलाई, 2006 तक | (1) उपलब्ध रिक्तियों एवं उनके भरे जाने की आवश्यकता के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को दिया जाना और प्रशासी विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना ।<br>(2) वरीयता सूची के संबंध में प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो) का निष्पादन और अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन ।<br>(3) रिक्ति बिल्कुल नहीं रहने की स्थिति में संकल्प की कंडिका-5 के प्रावधानों के अनुसार कार्यमुक्त किया जाना । |
| 3 | 15 अगस्त, 2006 तक | (1) समूह 'घ' के संबंध में संकल्प की कंडिका-2 (3) (ii) एवं (iii) के अनुसार समिति का गठन । |
| 4 | 31 अगस्त, 2006 तक | (1) समूह 'ग' के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की कोटिवार अधियाचना भेजा जाना ।<br>(2) समूह 'घ' के संबंध में संबंधित गठित समिति को कोटिवार रिक्तियों की सूचना तथा वरीयता सूची भेजा जाना । |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 30 सितम्बर, 2006 तक | समूह 'घ' के संबंध में गठित समिति द्वारा संबंधित कार्यालय/कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त करना निर्धारित सभी शर्तों के अनुपालन की जाँच करना और रिक्तियों की उपलब्धता/अनुमान्यता के अनुसार विचार कर पैनेल तैयार कर संबंधित कार्यालय/कार्यालयों को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजना । |
| 6 | 31 अक्टूबर, 2006 तक | समूह 'घ' के संबंध में अनुशंसित पैनेल के आलोक में समायोजन द्वारा नियुक्ति । |
| 7 | 30 नवम्बर, 2006 तक | समूह 'घ' के संबंध में समायोजित नहीं हो सकनेवाले दैनिक वेतनभोगियों को कार्यमुक्त किया जाना । |
| 8 | आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के एक माह के अन्दर | समूह 'ग' के संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विशेष सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असफल कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों को कार्यमुक्त किया जाना । |

अनुरोध है कि उक्त समय-सीमा से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को अविलम्ब अवगत करा दिया जाय तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय । साथ ही, संकल्प की कंडिका-4 के अनुपालन की समीक्षा कर उसके उल्लंघन होने की दशा में समुचित कार्रवाई भी की जाय ।

विश्वासभाजन,

(राजीव लोचन)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-30/2005-का0- 1533 /पटना-15, दिनांक- 3-6-06

प्रतिलिपि-अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो0-वेटनरी कॉलेज, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव